

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

विषय:- जनपद हरदोई में सण्डीला-बालामऊ मार्ग एस0एच0-25 किमी0 202-203 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम-रैसो के खसरो संख्या-184 में एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06677 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

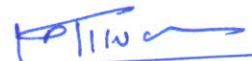
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-926/11-सी/हरदोई/20978, दिनांक 27-10-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद हरदोई में सण्डीला-बालामऊ मार्ग एस0एच0-25 किमी0 202-203 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम रैसो के खसरो संख्या-184 में एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06677 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2- अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-पी- 171(1)/14-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, हरदोई।
- 4- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई। हरदोई।
- 5- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 315 316 साइबर साइट विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।